छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

प्रधान कार्यालय एन–3 अंवति विहार रायपुर

क्रमांक / छगवेका / व्यव0 / भ0शु0 / 2013 / 10091 रायपुर, दिनांक– 29-08-13

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि0
मुख्यालय – रायपुर ।

विषय– **छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि0 के खाद्यान्न स्कंध की पुनरीक्षित भंडारण शुल्क दर बाबत् ।**

–00–

निगम की विभिन्न भंडारगृह शाखाओं में छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि0 द्वारा भंडारित किये जाने वाले खाद्यान्न स्कंध हेतु वर्तमान प्रचलित भंडारण शुल्क दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया गया है । उक्त दरें **दिनांक 01 सितम्बर 2013** से प्रभावशील होगी ।

क्र.	जिन्स का नाम	पैकिंग का प्रकार	शुद्व वजन सीमा	पुनरीक्षित भंडारण शुल्क दर (प्रतिबोरा प्रतिमाह)
1	समस्त प्रकार के खाद्यान्न	बोरों में	50 किलो / इससे कम भर्ती	2.73

अतः उक्त पुनरीक्षित भंडारण शुल्क दर अनुसार भंडारण शुल्क देयकों का भुगतान करने हेतु आपके जिला प्रबंधकों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

प्रबंध संचालक 29/8/13

क्रमांक / छगवेका / व्यव0 / भ0शु0 / 2013 / 10091 **रायपुर, दिनांक–** 29-08-13
प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निज सहायक, अध्यक्ष छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर ।
2. सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय रायपुर ।
3. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर ।
4. प्रबंधक(लेखा / कार्मिक / तकनीकी / वसूली) छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर ।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर / दुर्ग / अंबिकापुर।
6. समस्त नोडल अधिकारी, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन छत्तीसगढ़ ।
7. समस्त शाखा प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन छत्तीसगढ़ ।

प्रबंध संचालक 29/8/13

–::–छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन–::–

प्रधान कार्यालय, एन–03, अवंति विहार, रायपुर (छ0ग0)
दूरभाष कं0– 0771– 4242501, 4242507 फैक्स कं0–0771–4242510, 4242555

क्रमांक/छगवेका/मुख्या0/व्यव0/42/2013–14/ 12496 रायपुर, दिनाँक– 17-10-13
प्रति,

समस्त नोडल/ शाखा प्रबंधक,
छ0ग0 स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन,
छत्तीसगढ़

विषयः–वर्ष 2010–11 से भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण शुल्क पुनरिक्षित एवं देयक प्रस्तुति बाबत्।
संदर्भः–(1) भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/NO.S&C/QP/06/21
2012/Stg VII/4582 Dated.23.09.13

विषयान्तर्गत, भारतीय खाद्य निगम नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/एस0एण्ड0सी0/क्यू0पी0/06/21/2012/स्टो./VII/4582 दिनांक 23.09.13 के द्वारा भारतीय खाद्य निगम के स्कंध हेतु दिनांक 01.04.10 से भण्डारण शुल्क दरें निर्धारित की है, उसी अनुसार इस निगम को भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण शुल्क का भुगतान किया जाना है, इस संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

1 भारतीय खाद्य निगम हेतु एक वर्ष के आरक्षण (ग्यारंटी अवधि) हेतु भण्डारण शुल्क देयक रुपये 2.92 (50 किलो भरती) प्रतिमाह के दर से वसूली की जावेगी।
2 एक वर्ष से कम अवधि के आरक्षण हेतु निगम द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक दर (अन्य जमाकर्ता हेतु निर्धारित दर) जो लागू हो वसूल की जावेगी। वाणिज्यिक दर निगम द्वारा प्रचलित एवं समय–समय पर परिवर्तन अनुसार लागू होगा।
3 किसी शाखा पर आरक्षण अवधि में यदि आरक्षित मात्रा से अधिक/वास्तविक आधार पर स्कंध भण्डारित होता है तो आरक्षण से अधिक/वास्तविक आधार पर भण्डारित मात्रा हेतु वाणिज्यिक दर जो लागू हो प्रतिबोरी (50 किलो भरती) प्रतिमाह से वसूली की जावेगी।
4. आरक्षण से अधिक/वास्तविक आधार पर भण्डारित मात्रा हेतु 15 दिन या इससे कम अवधि हेतु निर्धारित भण्डारण शुल्क वाणिज्यिक दर का 50 प्रतिशत एवं 15 दिन से अधिक अवधि हेतु एक माह का पूरा भण्डारण शुल्क वसूल की जावेगी।
5. भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किये जाने वाले आरक्षण से अधिक/वास्तविक आधार पर संग्रहित स्कंध के प्रत्येक देयक पर भारतीय खाद्य निगम के पदस्थ प्रतिनिधियों से अनिवार्य रुप से प्रतिहस्ताक्षरित (पद मुद्रा सहित) करवाकर देयक चार प्रति में मुख्यालय रायपुर को प्रस्तुत किया जावे।
6. प्रत्येक देयक पर शाखा प्रबंधक द्वारा प्रि–रिसिप्ट किया जाना चाहिये। राशि रुपये 5000/– एवं अधिक के देयक पर रसीद टिकट लगाकर प्रि–रिसिप्ट करें।

भण्डारण शुल्क दरें दिनांक 01.04.2010 से प्रभावशील होगी। तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

प्रबंध संचालक

क्रमांक/छगवेका/मुख्या0/व्यव0/42/2013–14/ 12496 रायपुर,दिनाँक– 17-10-13
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय कांपा, रायपुर ।
2. क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर ।
3. प्रबंधक लेखा/कार्मिक/तकनीकी/वसूली अधिकारी, छ0ग0 स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पो., मुख्या. रायपुर ।
4. क्षेत्रीय प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/दुर्ग एवं अंबिकापुर ।

प्रबंध संचालक

Ram/Verma-sir/letter

–::– छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन –::–

प्रधान कार्यालय, N–3, मेन रोड, अवंति विहार, रायपुर

क्रमांक / छगवेका / व्यव0 / 2012–13 / 12611 रायपुर, दिनांक :– 10-12-12

प्रति,

समस्त नोडल / शाखा प्रबंधक,
छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
छत्तीसगढ़

विषयः– खाद्यान्न स्कंध की पुनरीक्षित (वाणिज्यिक) भण्डारण शुल्क दर बाबत्।

विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ में कार्यशील भण्डारगृह शाखाओं में भण्डारित होने वाले खाद्यान्न स्कंध की वाणिज्यिक दर रू0 3.50 प्रति बोरा (50 किलो भर्ती) प्रतिमाह नवम्बर 2012 से निर्धारित (पुनरीक्षित) की गई है।

विवरण निम्नानुसार हैः–

क0	वस्तु का नाम	पैंकिग का प्रकार	शुद्ध वजन सीमा	पूर्व की भण्डारण शुल्क दर रू0 प्रतिबोरा जनवरी 2009	पुनरीक्षित भण्डाण शुल्क दर प्रति बोरा नवम्बर 2012 से प्रभावशील
1	समस्त प्रकार के खाद्यान्न	बोरों में	50 किलो / इससे कम भर्ती	2.50	3.50

पुनरीक्षित वाणिज्यिक दर भा0खा0नि0 द्वारा 01 वर्षीय गारंटी के तहत् संग्रहित खाद्यान्न पर लागू नहीं होगी। इसी प्रकार छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो0, लिमि0 द्वारा भण्डारित खाद्यान्न स्कंध के लिये पूर्व में पत्र कमांक / छगवेका / व्यव0–42 / 2008–09 / 15200, दिनांक 16.03.2009 के तहत् निर्धारित भण्डारण शुल्क दर यथावत् रहेगी।

उक्त पुनरीक्षित वाणिज्यिक दर सामान्य जमाकर्ता तथा भा0खा0नि0 के नानगारंटेड / वास्ताविक आधार (AUB)/ आरक्षण से अधिक (O/A) में भण्डारित खाद्यान्न स्कंध पर लागू होगी।

प्रबंध संचालक 10/12/12

...2